मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025 (फाल्गुन 27, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गये :-
(1) श्री विष्णु राजोरिया, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(2) डॉ. देवचरण सिंह मधुकर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य एवं
(3) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री, श्री भगवानदास सबनानी सदस्य द्वारा भी शोकोद्गार व्यक्त किये गए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11:20 बजे विधान सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 से 7) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 170 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 179 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन में कमी।

(2) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य ने दतिया जिले के ग्राम नोनेट बाई पास मडैयन रायपुर तक सड़क निर्माण कराया जाना।

(3) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र के सेवढ़ा में स्थित सिंध नदी सनकुआ घाट पर स्टाप डेम बनाया जाना।

(4) श्री बाला बच्चन, सदस्य ने बड़वानी जिले के राजपुर नगर परिषद् में जल आवर्धन योजना अंतर्गत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना।

(5) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य ने मुरैना जिला चिकित्सालय में मरीजों के इलाज में भारी अनियमितता।

(6) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने हरदा जिले के ग्राम गहाल से नकवाड़ा तक सड़क निर्माण किये जाना।

(7) श्री माधव सिंह (मधु गहलोत), सदस्य ने जिला आगर-मालवा स्थित निपानिया बैजनाथ में पुलिस पेट्रोल पंप हेतु आवंटित भूमि को निरस्त कर अन्य स्थान पर भूमि आवंटन किया जाना।

(8) श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र भितरवार जिला ग्वालियर में निर्माणाधीन सड़कों के साईड सोल्डर नहीं बनाने से दुर्घटना होना।

(9) श्री भैरों सिंह 'बापू', सदस्य ने उज्जैन एवं इंदौर संभाग में किसानों को लहसून की खेती का समर्थन मूल्य तय किया जाना।

(10) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के आशुतोष अपर्णा ट्रस्ट कुण्डेश्वर महादेव मंदिर के निर्वाचन के कराये जाने के संबंध में।

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री** द्वारा मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2004) की धारा 12 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखा गया.

(2) **श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री** द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 पटल पर रखे गए.

(3) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री** द्वारा

(क) वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उपधारा (6) एवं मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के नियम 15 के उप नियम (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखे गए.

(4) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखा गया.

(5) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 56 वां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखा गया.

(6) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन** द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2003) के तहत बनाये गये मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 21 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखा गया.

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयक एवं वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिशें की गई हैं :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025)	30 मिनिट

वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए प्रस्तावित समय.

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या का विवरण	प्रस्तावित समय
1 .	डॉ.मोहन यादव ,मुख्यमंत्री	001 -सामान्य प्रशासन 002 -विमानन 003 -गृह 004-पर्यावरण 005- जेल 010-वन 011-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन 021- लोक सेवा प्रबंधन 025- खनिज साधन 029- विधि और विधायी कार्य 032- जनसंपर्क 041- प्रवासी भारतीय	1 घण्टा

		046 – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 048- नर्मदा घाटी विकास 052- आनंद	
2 .	श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री	006 -वित्त 007 -वाणिज्यिक कर 031- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	
3 .	श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री	019 -लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	1 घण्टा
4 .	डॉ. कुंवर विजय शाह, मंत्री	033 -जनजातीय कार्य 042 -भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास 045 -लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	30 मिनिट
5 .	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	022 -नगरीय विकास एवं आवास 028- राज्य विधान मण्डल	1 घण्टा
6.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल ,मंत्री	018 -श्रम 030 -ग्रामीण विकास 040- पंचायत	1 घण्टा
7 .	श्री राकेश सिंह, मंत्री	024- लोक निर्माण कार्य	45 मिनिट
8 .	श्री करण सिंह वर्मा, मंत्री	008 -भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	45 मिनिट
9.	श्री उदय प्रताप सिंह, मंत्री	027 -स्कूल शिक्षा 036- परिवहन	45 मिनिट
10.	श्रीमती संपतिया उइके, मंत्री	020 -लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1 घण्टा
11 .	श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री	023 -जल संसाधन	1 घण्टा
12.	श्री एंदल सिंह कंषाना, मंत्री	013- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1 घण्टा
13 .	सुश्री निर्मला दिलीप सिंह भूरिया, मंत्री	0 -55महिला एवं बाल विकास	30 मिनिट
14 .	श्री गोविन्द सिंह राजपूत, मंत्री	039 -खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	45 मिनिट
15.	श्री विश्वास सारंग, मंत्री	043 -खेल और युवा कल्याण 017- सहकारिता	45 मिनिट
16 .	श्री नारायण सिंह कुशवाह, मंत्री	034 -सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण 050- उद्यानिक तथा खाद्य प्रसंस्करण	30 मिनिट
17 .	श्री नागर सिंह चौहान, मंत्री	049- अनुसूचित जाति कल्याण	30 मिनिट
18 .	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री	012 -ऊर्जा	1 घण्टा
19 .	श्री राकेश शुक्ला, मंत्री	009 -नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	30 मिनिट
20 .	श्री चेतन्य कुमार काश्यप, मंत्री	035 -सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	30 मिनिट
21 .	श्री इन्दर सिंह परमार, मंत्री	044 -उच्च शिक्षा 038 -आयुष 047- तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	45 मिनिट
22.	श्रीमती कृष्णा गौर ,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	015 -घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति 053 -अल्प संख्यक कल्याण 054- पिछड़ा वर्ग कल्याण	30 मिनिट
23.	श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	026 -संस्कृति 037- पर्यटन 051- धार्मिक न्यास और धर्मस्व	30 मिनिट
24 .	श्री दिलीप जायसवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	056 -कुटीर एवं ग्रामोद्योग	30 मिनिट
25.	श्री लखन सिंह पटैल ,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	014- पशुपालन एवं डेयरी	30 मिनिट
26.	श्री नारायण सिंह पंवार ,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	016- मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	30 मिनिट

समिति द्वारा की गई सिफारिश अनुसार :--

दिनांक 18 एवं 20 मार्च 2025 की बैठकों में भोजनावकाश न रखा जाये तथा सभा की बैठकें सायं 7.30 बजे तक रखी जाये.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयक एवं वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

6. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य** ने भिण्ड में पदस्थ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक की लापरवाही से विद्युत कटौती होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यानाकर्षण किया. डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान सदस्य एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

7. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होना

ध्यानाकर्षण के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ''आज भी भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में है, सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण कर सकते है.''

8. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) **डॉ. विक्रांत भूरिया (सर्वश्री नारायण सिंह पट्टा, ओमकार सिंह मरकाम) सदस्यगण** ने मंडला जिले में निर्दोष आदिवासी की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण किया. श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री, श्री नारायण सिंह पट्टा, श्री ओमकार सिंह मरकाम, श्री बाला बच्चन सदस्यगण एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. गर्भगृह में प्रवेश एवं धरना

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा मृतक आदिवासी के परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी व एक करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता की मांग करते हुए गर्भगृह में आए और धरना दिया गया.

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) **सुश्री उषा ठाकुर, सभापति** ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) **श्री हरिशंकर खटीक, सभापति** ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का चतुर्थ, पंचम्, षष्टम्, सप्तम् एवं अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री मुकेश मल्होत्रा (जिला-**श्योपुर)
(2) **श्री मथुरालाल डामर (जिला-**रतलाम)
(3) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**दतिया)
(4) **श्री केशव देसाई (जाटव) (जिला-**रीवा)
(5) **श्री माधव सिंह (मधु गहलोत) (जिला-**आगर-मालवा)
(6) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-**धार)
(7) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना)
(8) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-**धार)
(9) **श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-**छिंदवाड़ा)

(10) श्री विपिन जैन (जिला-मंदसौर)
(11) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(12) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(13) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला-छतरपुर)
(14) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(15) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(16) श्री विश्वनाथ सिंह 'मुलाम भैया' (जिला-नरसिंहपुर)
(17) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-मैहर)
(18) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(19) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(20) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)
(21) श्री कैलाश कुशवाह (जिला-शिवपुरी)
(22) श्री केदार चिड़ाभाई डाबर (जिला-खरगोन)
(23) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(24) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
(25) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(26) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)
(27) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(28) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(29) श्री श्याम बरड़े (जिला-बड़वानी)
(30) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(31) श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार (जिला-मुरैना)
(32) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(33) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव (जिला-खरगोन)
(34) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(35) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(36) श्री अनिल जैन (निवाड़ी) (जिला-निवाड़ी)
(37) श्री दिनेश जैन (बोस) (जिला-उज्जैन)
(38) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(39) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
(40) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(41) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)
(42) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी (जिला-सागर)
(43) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(44) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
(45) श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-अनूपपुर)
(46) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
(47) श्री अरविन्द पटैरिया (जिला-छतरपुर)
(48) श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-छतरपुर)
(49) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(50) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(51) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(52) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(53) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(54) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(55) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)

12. गर्भगृह से बहिर्गमन

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा मृतक आदिवासी के परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी व एक करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता की मांग पूरी न किये जाने के विरोध में नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया.

13. वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमश:)

(19) डॉ. योगेश पण्डाग्रे

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

(20) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर
(21) श्री महेश परमार

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(22) श्री राजेश कुमार वर्मा
(23) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर
(24) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी
(25) चौधरी सुजीत मेर सिंह
(26) डॉ. अभिलाष पाण्डेय
(27) श्री मुकेश मल्होत्रा
(28) श्री हरदीप सिंह डंग
(29) श्री फूलसिंह बरैया
(30) डॉ. चिंतामणि मालवीय
(31) श्री राजन मण्डलोई
(32) श्री अनिल जैन कालूहेडा
(33) श्री सुनील उइके

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

(34) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत)
(35) डॉ. रामकिशोर दोगने

14. शासकीय वक्तव्य.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उपमुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा द्वारा "स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों को पूर्व सेवा का लाभ एवं उनके वेतन संरक्षण के प्रोटेक्शन का लाभ के संबंध में वक्तव्य दिया गया.

15. वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमश:)

(36) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(37) श्री दिनेश राय ''मुनमुन''
(38) श्री आरिफ मसूद
(39) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
(40) श्री उमंग सिंघार

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने चर्चा का उत्तर दिया.

16. वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(1)	अनुदान संख्या – 18	श्रम के लिए एक हजार एक सौ आठ करोड़, छब्बीस लाख, छियासी हजार रूपये,
	अनुदान संख्या – 30	ग्रामीण विकास के लिए उन्नीस हजार पचास करोड़ सत्ताईस लाख अठहत्तर हजार रूपये एवं
	अनुदान संख्या – 40	पंचायत के लिए तेरह हजार दौ सौ अठहत्तर करोड़, उनहत्तर लाख, तिरानवे हजार रूपये

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

(1) श्री ओमकार सिंह मरकाम

सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी) पीठासीन हुए.

(2) हरिशंकर सिंह खटीक
(3) श्री अभय मिश्रा
(4) श्री रामनिवास शाह

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

(5) श्री विवेक विक्की पटेल
(6) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर
(7) श्री दिनेश गुर्जर
(8) श्री राजेन्द्र मेश्राम
(9) श्री फूलसिंह बरैया

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. विशेष उल्लेख.

रंगपंचमी की शुभकामनाएं

सभापति महोदय द्वारा सभी माननीय सदस्यों को रंगपंचमी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी गईं.

अपराह्न 07:10 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 20 मार्च, 2025 (फाल्गुन 29, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 18 मार्च, 2025